

(वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक- 11-268/2014 F.C.  
दिनांक 11.07.2014 की बिन्दुवार आख्या)

प्रमाणित किया जाता है कि-

1. एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर खसरा सं0 573 ग्राम-बिसावली, तहसील-इगलास, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.075012 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकासी मार्ग की मार्ग के मध्य से बफर स्ट्रिप की दूरी 22.86 मी0 है तथा सम्पर्क मार्गों तथा मध्य का क्षेत्रफल 0.075012 है0 है जो प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ के द्वारा अनुमोदित है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एवं हाईवे के द्वारा दी गयी गाइडलाइन्स के अनुरूप हैं तथा यह मार्ग लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ के अधीन है।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर खसरा सं0 573 ग्राम-बिसावली, तहसील-इगलास, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर प्रवेश एवं निकास मार्ग पर 07 बाधक वृक्ष का पातन प्रस्तावित है।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर पार्किंग, शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें रेस्टोरेन्ट, दुकान आदि का प्राविधान नहीं किया गया है।
4. मार्ग का निर्माण या चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में है।
5. साइन बोर्ड स्थापित करते समय पटरी वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।
6. एस्सार ऑयल लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प की दीवार से 1 से 1.5 मी0 के मध्य वृक्षारोपण किया जायेगा।
7. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के पश्चात एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा कैम्पा मद में जमा की गयी धनराशि से प्रतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।

  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
अलीगढ़

एस्सार ऑयल लिमिटेड  
For NAYARA ENERGY LIMITED

  
Authorised Signatory